

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 1

सं.157 से 259 (हिन्दी) /परीक्षा-4/प्रोग्राम-एसएसएस/
आर ए एवं आई ई/2010

दिनांक -18-06-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग. के सभी कार्यालय
(विदेश लेखा परीक्षा कार्यालय को छोड़कर)

विषय:-.अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा, राजस्व लेखापरीक्षा एवं प्रोत्साहन परीक्षा।

परिपत्र संख्या 17-एनजीई/2010/संख्या 632-एनजीई (नियुक्ति)/24- 2010
दिनांक 7-6-2010 का संदर्भ करे। नीचे लिखे दस्तावेज सूचनार्थ अनुलग्न
है:

1. परीक्षा के लिए कार्यालय कोड की सूची, अनुलग्नक -I
अभ्यर्थियों में ऑन लाइन पंजीकरण में इस विंग द्वारा पूछे जाने पर
कार्यालय कोड की जरूरत होगी।
2. शाखा एवं समूह (एस ए एस परीक्षा) में पेपर कोड की कडी अनुलग्नक
-II
3. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए शाखानुसार राजस्व लेखापरीक्षा
में प्रश्न-पत्र अनुलग्नक -III

भवदीय

अनुलग्न यथोक्त

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक/परीक्षा

परीक्षा के लिए कोड सहित कार्यालयों की सूची

अनुलग्नक- 1

क्रम संख्या	कार्यालयों के नाम	निर्धारित कोड
	दिल्ली	001 से 025
1.	सी.ए.जी. नई दिल्ली	001
2.	महानिदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवायें नई दिल्ली	002
3.	महानिदेशक लेखा परीक्षा डाक व दूर संचार नई दिल्ली	003
4.	महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली	004
5.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा ई.एस.एम नई दिल्ली	005
6.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा उत्तर रेलवे नई दिल्ली	006
7.	प्रधान निदेशक वैज्ञानिक विभाग नई दिल्ली	007
8.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी.-I नई दिल्ली	008
9.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी.-II नई दिल्ली	009
10.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी.-III नई दिल्ली	010
11.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी.-IV नई दिल्ली	011
	आन्ध्र प्रदेश	026 से 035
12.	प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) हैदराबाद	026 से 035
13.	प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हकदारी) हैदराबाद	027

14.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा दक्षिण मध्य रेलवे सिकन्दराबाद	028
15.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा, एम.ए.बी. हैदराबाद	029
	असम	036 से 040
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) गुवाहाटी	036
17.	महालेखाकार (ले.एवं हकदारी) गुवाहाटी	037
18.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे माली गांव गुवाहाटी	038
	अरुणाचल प्रदेश	041 से 045
19.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ईटानगर	041
20.	महालेखाकार (ले.एवं हकदारी) ईटानगर	042
	बिहार	046 से 050
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पटना	046
22.	प्रधान महालेखाकार (एल.ए.डी.) पटना	
23.	महालेखाकार (ले.एवं हक.) पटना	048
24.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर	049
	छत्तीसगढ़	051 से 060
25.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) रायपुर	051
26.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) रायपुर	052

27.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा दक्षिण,पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर	053
	गोवा	061 से 065
28.	महालेखाकार, गोवा	061
	गुजरात	066 से 075
29.	प्रधान महालेखाकार (वाणिज्य तथा प्राप्ति ले.प.) अहमदाबाद	066
30.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजकोट	067
31.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजकोट	068
	हरियाणा	076 से 080
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) चण्डीगढ	076
33.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) चण्डीगढ	077
	हिमाचल प्रदेश	081 से 085
34.	राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी, शिमला	081
35.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) शिमला	082
36.	वरि. उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) शिमला	083
	जम्मू और कश्मीर	086 से 090
37.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) श्रीनगर	.86
38.	वरि. उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) श्रीनगर	087
	झारखण्ड	091 से 100
39.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा (एम.ए.बी.) रांची	091

40.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) रांची	092
41.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) रांची	093
42.	महालेखाकार (एल.ए.डी.) रांची	094
	कर्नाटक	101 से 105
43.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बैंगलोर	101
44.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) बैंगलोर	102
45.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी. बैंगलोर	103
46.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली	104
	केरल	106 से 110
47.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) त्रिवेन्द्रम	106
48.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिवेन्द्रम	107
	मध्य प्रदेश	111 से 120
49.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ग्वालियर	111
50.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) ग्वालियर	112
51.	प्रधान निदेशक (लेखा परीक्षा) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	113
	महाराष्ट्र	121 से 130
52.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - I मुम्बई	121
53.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - II नागपुर	122

54.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) I मुम्बई	123
55.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) II नागपुर	124
56.	प्रधान निदेशक वाणिज्य एम.ए.बी. -I मुम्बई	125
57.	प्रधान निदेशक वाणिज्य एम.ए.बी. - II मुम्बई	126
58.	प्रधान निदेशक (केन्द्रीय) मुम्बई	127
59.	महालेखाकार (वाणिज्य) मुम्बई	128
60.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा पश्चिम रेलवे मुम्बई	129
61.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा मध्य रेलवे मुम्बई	130
	मणिपुर	131 से 135
62.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इम्फाल	131
63.	व. उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) इम्फाल	132
	मेघालय	136 से 140
64.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) शिलांग	136
65.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) शिलांग	137
	मिजोरम	141 से 145
66.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ऐजवाल	141
67.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) ऐजवाल	142
	नागालैड	146 से 150

68.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कोहिमा	146
69.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) कोहिमा	147
	उडीसा	151 से 155
70.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) भुबनेश्वर	151
71.	महालेखाकार (लेखा एव हक) भुबनेश्वर	152
72.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा पूर्वी तट रेलवे भुबनेश्वर	153
	पंजाब	156 से 160
73.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) चन्डीगढ	156
74.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) चन्डीगढ	157
	राजस्थान	161 से 170
75.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जयपुर	161
76	महालेखाकार (लेखा एवं हक) जयपुर	162
77.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	163
	सिक्किम	171 से 175
78.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) गंगटोक	171
79.	व. उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) गंगटोक	172
	तमिलनाडू	176 से 190
80.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) चैन्नई	176

81.	महालेखाकार (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) चैन्नई	177
82.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) चैन्नई	178
83.	प्रधान निदेशक दक्षिण रेलवे चैन्नई	179
84.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी. चैन्नई	180
	त्रिपुरा	191 से 191
85.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) अगरतला	191
86.	व. उप महालेखाकार (लेखा एवं हक) अगरतला	192
	उत्तर प्रदेश	196 से 205
87.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इलाहाबाद	196
88.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इलाहाबाद	197
89.	महालेखाकार (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), लखनऊ	198
90.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद	199
91.	प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर	200
	उत्तराखण्ड	206 से 210
91.	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) देहरादून	206
92.	महालेखाकार (लेखा) देहरादून	207
93.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा एम.ए.बी. देहरादून(एम.ए.बी.-II नई दिल्ली के आधीन)	208

	पश्चिम बंगाल	211 से 220
95.	प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कोलकाता	211
96.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) कोलकाता	212
97.	महालेखाकार (प्राप्ति निर्माण एवं एल.एल.ए. बी.) कोलकाता	213
98.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) कोलकाता	214
99.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा पूर्व रेलवे कोलकाता	215
100.	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता	216
101.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा कोलकाता एम.ए.बी-I	217
102.	प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा कोलकाता एम.ए.बी.-II	218

समूह- II	पीसी -8 वित्तीय नियम एवं सरकारी लेखाओं के सिद्धान्त	पीसी -8 वित्तीय नियम एवं सरकारी लेखाओं के सिद्धान्त	पीसी -8 वित्तीय नियम एवं सरकारी लेखाओं के सिद्धान्त)	पीसी -9 वित्तीय नियम एवं रक्षा लेखाओं के सिद्धान्त	पीसी -10 वित्तीय नियमावली एवं डाक लेखाओं के सिद्धान्त	पीसी -11 वित्तीय नियमावली, सरकारी लेखाओं/लेखापर ीक्षा एवं निर्माण व्यय	पीसी-12 वित्तीय नियमावली, सरकारी लेखाओं एवं सी पी डब्ल्यू ए
	पीसी-13 लेखाशास्त्र (सिविल लेखा)	पीसी-14 प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन	पीसी-14 प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन	पीसी-14 प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन	पीसी-14 प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन	पीसी-14 प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन	पीसी-15 उन्नत लेखांकन
	पीसी-16 लोक निर्माण लेखे	पीसी-16 लोक निर्माण लेखे	पीसी-16 लोक निर्माण लेखे	पीसी-17 बजटीय प्रक्रिया एवं वित्तीय लेखापरीक्षा (डी ए डी - I)	पीसी-18 स्थानीय पेपर - डाक लेखापरीक्षा	पीसी-19 रेलवे यातायात राजस्व	पीसी-20 लागत लेखाशास्त्र एवं वाणिज्यिक विधियां तथा निगमित कर
	पीसी-21 सरकारी लेखे	पीसी-22 सरकारी लेखापरीक्षा	पीसी-22 सरकारी लेखापरीक्षा पीसी-27 स्थानीय पेपर - विधायी अधिनिमय एवं सांविधिक नियमावली, स्थानीय निधियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (पश्चिमी बंगाल) पीसी-28 स्थानीय पेपर - पी आर आई एवं यू एल बी, विश्वविद्यालयों तथा विविध निधियों के लेखों की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (बिहार)	पीसी-23 ठेका प्रबंधन एवं विधियां (डी ए डी - II)	पासी-24 दूरसंचार लेखापरीक्षा	पीसी-25 कार्यशाला एवं भंडार की लेखापरीक्षा सहित सरकारी लेखापरीक्षा	पीसी-26 वाणिज्यिक लेखापरीक्षण

			पीसी-29 स्थानीय पेपर - पी आर आई एवं यू एल बी, विश्वविद्यालयों तथा विविध निधियों के लेखों की लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (झारखण्ड)				
--	--	--	---	--	--	--	--

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए शाखाओ सहित राजस्व लेखा परीक्षा परीक्षा
के प्रश्न पत्र

अनुलग्नक - III

सिविल एवं वाणिज्य लेखा परीक्षा	ई.एस.एम तथा एस.डी लेखा परीक्षा	स्थानीय लेखा परीक्षा	रक्षा लेखा परीक्षा	डाक एवं दूर संचार लेखा परीक्षा	रेलवे लेखा परीक्षा
आर.ए.ई. 1 आयकर	आर.ए.ई. 1 आयकर	आर.ए.ई. 1 आयकर	आर.ए.ई. 1 आयकर	आर.ए.ई. 1 आयकर	आर.ए.ई. 1 आयकर
आर.ए.ई -2 केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर	आर ए ई - 7 ईएसएम तथा एस.डी. लेखापरीक्षा	आर ए ई - 4 स्थानीय लेखापरीक्षा-(पश्चिमी बंगाल) आर ए ई - 5 स्थानीय लेखापरीक्षा -(बिहार) आर ए ई - 6 स्थानीय लेखापरीक्षा -(झारखण्ड)	आर ए ई - 8 रक्षा लेखापरीक्षा	आर ए ई - 9 पी एवं टी लेखापरीक्षा	आर ए ई - 3 रेलवे लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 2

सं.444/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक -06-08-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(विदेश लेखा परीक्षा कार्यालय को छोड़कर)

विषय:-.एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के केन्द्रों की सूची

संदर्भ: परिपत्र संख्या 17-एन जी ई/2010 संख्या 632-एन जी ई
(नियुक्ति)/24-2010 दिनांक 07-06-2010।

महोदय/महोदया,

उल्लिखित कार्यालय परिपत्र के आगे अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा तथा प्रोत्साहन परीक्षा के केन्द्रों के स्थान सूचित करने का निर्देश हुआ है। परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न हैं।

कृपया ई-मेल से पावती भेजे।

भवदीय

अनुलग्न यथोक्त

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक/परीक्षा

एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. अजरतला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बैगलौर
5. भोपाल
6. भुबनेश्वर
7. चण्डीगढ
8. चैन्नई
- कटक भुवनेश्वर में**
9. देहरादून
- गोवा मुम्बई में**
10. गैंगटोक
11. गोरखपुर
12. ग्वालियर
13. गुवाहाटी
14. हैदराबाद
15. इम्फाल
16. जयपुर
17. जम्मू
18. कोची
19. कोलकाता
20. कोहिमा
- कपूरथला चंडीगढ में**
- कोजीकोड श्रीसूर में**
21. लखनऊ
22. मुम्बई
23. मदुरई
24. नागपुर
25. नई दिल्ली
26. पुणे

27. पटना
पोर्टब्लेयर कोलकाता में
28. रांची
29. रायपुर
30. राजकोट
31. शिलांग
32. शिमला
33. श्रीनगर
34. श्रीसूर
35. तिरुवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 3

सं.453/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक -11-08-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(विदेश लेखा परीक्षा कार्यालय को छोड़कर)

विषय:-.परिपत्र सं0 17-एनजीई /2010 दिनांक 7-6-2010 पर स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

परिपत्र संख्या 17-एनजीई/2010 के पैरा 7 (ज) के सन्दर्भ में एनजीई (नियुक्ति) से प्राप्त पत्रांक ओ एम संख्या 912-एनजीई (नियुक्ति)/ 24-2010 दिनांक 5-8-2010 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है।

कृपया परिपत्र की पावती भेजे।

भवदीय

(टी एस शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

अराज (नियुक्ति)

संख्या 912-अराज (नियु0)/24-2010

दिनांक 05-08-2010

विषय:- सांख्यिकी एवं सांख्यिकीय नमूना पत्र की समाप्ति के सन्दर्भ में परिपत्र संख्या 17 एनजीई दिनांक 7-6-2010 का स्पष्टीकरण।

परीक्षा अनुभाग की दिनांक 8-7-2010 की टिप्पणी संख्या 408/परीक्षा-3/सम्मिलित उत्तीर्ण/2010 तथा प्रधान महालेखोकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा का दिनांक 30-06-2010 का पत्रांक प्रशासन 3/परीक्षा/2010-11/294 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में-

उपर्युक्त टिप्पणी में उठाये गये मामले की जाँच विधि विंग की सहमति के आधार पर की गई, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 632-एनजीई (नियुक्ति)24-2010 दिनांक 7-6-2010 के पैरा संख्या 7 (h) में लिखित एस. ओ.जी.ई. का अर्थ एस ओ जी ई 2009 है। अतः वे परीक्षार्थी जो एस ओ जी ई 2009 में सम्मिलित हुए थे तथा कम्प्यूटर प्रश्नपत्रों (सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक) सहित सभी प्रश्न पत्रों में (औसत अंक सहित) उत्तीर्ण थे परन्तु सांख्यिकी एवं सांख्यिकीय नमूना एस ओ ई 31 में अनुत्तीर्ण थे उनको एस ओ जी ई में 7-6-2010 से उत्तीर्ण माना जायेगा

इस प्रकार के सभी मामलों में तदनुसार निर्णय लें।

यह पत्र ए.सी. (एन) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(जसपाल सिंह)

वरि0 प्रशासनिक अधिकारी (नियुक्ति)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 4

सं.481/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक -19-08-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

विषय:- आगामी एस.ए.एस परीक्षा का आयोजन।

महोदय/महोदया,

ए सी (एन) से प्राप्त नवम्बर/दिसम्बर 2010 में होने वाली लेखा एवं हकदारी तथा अन्य कार्यालयों में एस. ए. एस. (सिविल लेखा) 2010 दर्शाती प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा आपके स्तर पर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैं।

परिपत्र की पावती कृपया भेजे।

भवदीय

अनुलग्न यथोक्त

(टी एस शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

अराज (नियुक्ति) अनुभाग

संख्या 964/एनजीई.(नियु./38-2010

दिनांक 13-08-2010

विषय:- आगामी एस.ए.एस. परीक्षा का आयोजन।

यह निर्णय किया गया है कि नवम्बर/दिसम्बर 2010 में होने वाली आगामी एस.ए.एस. (सिविल लेखा) परीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार होगी।

(अ) लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के सभी श्रेणियों अथवा चयनित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एस.ए.एस (सिविल लेखा) परीक्षा होगी।

सभी श्रेणियों के लिए	एस सी. और एस.टी के लिए	एस.टी के लिए
महालेखाकार (ले.एवं हक) बिहार पटना	महालेखाकार (ले.एवं हक) आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद	महालेखाकार (ले.एवं हक) आसाम गुवाहाटी
महालेखाकार (ले.एवं हक) गुजरात राजकोट	महालेखाकार (ले.एवं हक) I महाराष्ट्र मुम्बई	महालेखाकार (ले.एवं हक) हरियाणा चण्डीगढ़
व.उप महालेखाकार (ले.एवं हक) मणिपुर इम्फाल	महालेखाकार (ले.एवं हक) II महाराष्ट्र नागपुर	महालेखाकार (ले.एवं हक) हिमाचल प्रदेश शिमला
महालेखाकार (ले.एवं हक) मेघालय शिलांग	-----	व.उप महालेखाकार (ले.एवं हक) जम्मू एवं कश्मीर श्री नगर
व.उप महालेखाकार (ले.एवं हक) नागालैंड कोहिमा	-----	महालेखाकार (ले.एवं हक) कर्नाटक बैंगलोर
व.उप महालेखाकार (ले.एवं हक) सिक्किम गैंगटोक	-----	महालेखाकार (ले.एवं हक) केरल त्रिवन्तपुरम
महालेखाकार (ले.एवं हक) उत्तराखण्ड देहरादून	-----	महालेखाकार (ले.एवं हक) I मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक) पश्चिम बंगाल कोलकाता	-----	महालेखाकार (ले.एवं हक) तमिलनाडु चैन्नई
महालेखाकार (ले.एवं हक बिंग) अरुणाचल प्रदेश	-----	व.उप महालेखाकार (ले.एवं हक) त्रिपुरा अगरतला
महालेखाकार (ले.एवं हक बिंग) मिजोरम	-----	महालेखाकार (ले.एवं हक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

(ब) लेखा एवं हकदारी कार्यालय जहाँ एस.ए.एस. (सिविल लेखा) परीक्षा नहीं होगी।

- (i) म.ले. (ले.एवं हक.) छत्तीसगढ़, रायपुर
- (ii) म.ले. (ले.एवं हक.) झारखण्ड, राँची
- (iii) प्र. म.ले. (ले.एवं हक.) राजस्थान, जयपुर
- (iv) प्र.म.ले. (ले.एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर
- (v) महालेखाकार (ले.एवं हक) पंजाब, चन्डीगढ़

2. पुनः लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के केवल ऐसे कर्मचारी एस.ए.एस. (सिविल लेखा) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये जो पहले एस.ए.एस. (सिविल लेखा परीक्षा) परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हो तथा किसी प्रश्न पत्र में छूट प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि एस.ए.एस. (सिविल लेखा परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण होने के दो वर्षों के अन्दर कमी वाले एस.ए.एस. सिविल लेखा परीक्षा में आमेलन हेतु लिखकर देना होगा।

3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा दक्षिण रेलवे चैन्नई के कार्यालय में आगामी एस.ए.एस. परीक्षा केवल एस.टी श्रेणी के लिए आयोजित होगी।

4. सम्बन्धित कर्मचारियों को तदनुसार सूचित कर दे।

भवदीय

(सौरभ नारायण)

सहायक नियंत्रक एसं म.ले.प. (एन.)

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 5

सं.499/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक -26-08-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष।
(डाक सूची अनुसार - नाम से)।

विषय:-. एस.ए.एस./आर.ए./आई. परीक्षा -2010 के अभ्यर्थियों का ऑन लाइन
पंजीकरण प्रचालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पुनरीक्षित पैटर्न पर अभ्यर्थियों की एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई/आई.ई परीक्षा नवम्बर 2010 माह में होगी। यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के ऑन लाइन पंजीकरण अपने पैतृक कार्यालय में होंगे। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के वरि. उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरि. ए.ओ./ए.ओ.(प्रशासन) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में भरवायेगे। इससे न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी वरन अनुलिपि पंजीकरण से भी बचा जायेगा तथा इनपुट कंट्रोल के रूप में कार्य करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय एक या अधिक इंटरनेट सुविधायुक्त समर्पित पर्सनल कम्प्यूटर इस कार्य के लिए लगायेगें। पंजीकरण तथा अनुमोदन के लिए अलग यूजर आई डी तथा पासवर्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निकाले गए है जो ई-मेल द्वारा संसूचित किये जायगें।

2. अभ्यर्थियों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सूचनाएं यथा वर्ग, छूट के दावे आदि के विस्तृत सत्यापन के अतिरिक्त एम.एस.ओ (प्रशासन) के अध्याय IX में दिये गए सभी जॉच बिन्दुओं को विभागाध्यक्षों द्वारा देखा जायेगा।

3. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण 25-08-2010 से शुरू होगा तथा 15-09-2010 को बन्द हो जायेगा।
अभ्यर्थियों को ऑन लाइन पंजीकरण की सुगमता के लिए बनाये गए विस्तृत दिशा - निर्देशों की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है।

परिपत्र की पावती कृपया भेजे।

भवदीय

अनुलग्न यथोक्त

(टी. एस. शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

एस.ए.एस./आर.ए/प्रोत्साहन परीक्षा 2010 पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश।

1. उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण

1. वेब एड्रेस :<http://examregcag.gov.in/registration> /पर लॉग ऑन करे :-
2. प्रणाली आपका आफिस कोड तथा पास वर्ड पूछेगा कृपया दर्ज करे। आफिस कोड तथा पास वर्ड अलग से ई-मेल द्वारा भेजा गया है।
3. पंजीकरण के लिए आवेदन में आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लाल बटन द्वारा दर्शायी गयी है। प्रणाली आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक लाल बटन द्वारा इंगित की गयी सभी जानकारियां भरी न जा चुकी हो।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद लगातार (Continue) बटन को क्लिक करे तो स्क्रीन आयेगा जिस पर Edit तथा Submit बटन आयेगे
5. Edit बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं में संशोधन कर सकता है यदि संशोधन किया है तो हस्ताक्षर सहित अपना फोटों ब्राउज बटन प्रयोग करके एक बार फिर संलग्न करें।
6. एक बार अभ्यर्थी Submit बटन दबाता है तो प्रणाली आवेदन पत्र को अन्तिम रूप समझती है तथा अभ्यर्थी हेतु एस.ए.एस. के लिए "S" राजस्व लेखा परीक्षा के लिए R और प्रोत्साहन परीक्षा के लिए I उपसर्ग लगाकर सूचाकांक संख्या बना देता है।
7. अभ्यर्थी सूचाकांक संख्या को नोट कर ले जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बन्द कर दे। इससे अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
8. प्रवेश पत्र के जनन, प्राप्त करने तथा परीक्षा हाल में प्रवेश आदि से सम्बन्धित सूचना भेजने में सहायता हेतु सही वैकाल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल, पता, मोबाइल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र कार्ड संख्या अवश्य लिखे।
9. प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे-परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 6 प्रयास ही अनुमेय है। अतः वही अभ्यर्थी परीक्षा हेतु पंजीकरण करे जो परीक्षा देने हेतु तैयार हो।

2. विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन

1. अभ्यर्थियों द्वारा प्रार्थना पत्रों के सम्पादन हेतु वेब पते <http://examreg.cag.gov.in/cag-Admin> पर लॉग ऑन करें।
2. प्रणाली आपका प्रयोक्त आई.डी. तथा पास वर्ड पूछती है। प्रयोक्ता आई.डी. cag तथा पास वर्ड अलग से भेजा जाता है। कृपया उन्हें दर्ज करें।
3. विभागाध्यक्ष चयन स्क्रीन मेनू एस.ए.एस./आई.ए.ई/आई.ई. पर शाखानुसार विवरण देख सकते हैं। प्रणाली चयनित शाखा के उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की उनकी सूचकांक संख्या के साथ दिखाती है।
4. विभागाध्यक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध पंजीकरण संख्या तथा छूट मैट्रिक्स पर क्लिक करके अभ्यर्थी द्वारा छूट के दावों को ऑन लाइन सत्यापन कर सकते हैं।
5. विभागाध्यक्ष Edit Menu के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों के अनुमोदन से पूर्व विभागाध्यक्ष एम.एस.ओ. (प्रशासन) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार आवश्यक जाँच छूट की अनुमति सहित अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए।
7. दिये गये विस्तृत के सत्यापन के बाद यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो **Submit** बटन पर क्लिक करें उसके बाद की बोर्ड पर F -5 को क्लिक करें स्क्रीन पर **retry** पर क्लिक करें। इस प्रकार अभ्यर्थी के आवेदन को विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त होगा।
8. यह विभागाध्यक्ष के अनुमोदन की प्रक्रिया तथ्य सत्यापन को पूरा करता है। कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदन अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त करने के बाद विभागाध्यक्ष को प्रशासनिक माड्यूल पर पुनः जाकर अभ्यर्थिता का अनुमोदन करना है।

3. मुख्यालय मापांक

1. विभागाध्यक्ष वाले वेब पते के साथ पंजीकरण पर दूसरे वेबसाइट प्रयोक्त आई.डी. एवं पासवर्ड द्वारा निदेशक (परीक्षा) उपयोग करते हैं।

2. मुख्यालय में जाँच कम से कम रखी जायेगी क्योंकि विभाग प्रमुख द्वारा सभी आवश्यक जाँच की जा चुकी है। तथापि, यदि अनुमोदित अभ्यर्थियों के चयनित प्रतिशत की जाँच में कोई कमी पाई गयी तो उस कार्यालय के सभी आवेदन पत्रों की पुनः सत्यापन हेतु वापिस किया जायेगा।
3. अभ्यर्थिता के अन्तिम अनुमोदन की जानकारी वेबसाइट में विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध है, तथापि प्रशासनिक माड्यूल के क्रमाके 11 एवं 12 में यह प्रक्रिया दी गयी है।
4. यह शाखा विशेष के अभ्यर्थियों के पंजीकरण को पूर्ण करता है। एक बार परीक्षा की तिथि निश्चित हो जाने पर प्रवेश पत्र के जनन की सूचना दी जायेगी। विभागाध्यक्ष को प्रवेश पत्र बना कर सम्बन्धित अभ्यर्थियों को देने है।

भवदीय

(टी.एस.सिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 6

सं.509/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 03-09-2010

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय।

(डाक सूची अनुसार - नाम से)

विषय:-. अवसरो की संख्या पर स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

मुख्यालय से दिनांक 07-06-2010 को निर्गत परिपत्र संख्या 17/एनजीई- 2010 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी विभागीय अभ्यर्थियों के लिए नवीनीकृत एस.ए.एस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की संख्या की गिनती 2010 से नये सिरे से आरम्भ होगी।

अभ्यर्थी, जो सी.ए.जी. के एम.एस.ओ. (प्रशासन) खण्ड -I की धारा 9.2.10 के अनुसार सभी छः अवसर समाप्त कर चुके हैं तथा परीक्षा से बंचित हो चुके हैं, को भी किसी प्रश्न पत्र में छूट के बिना नये अभ्यर्थी के रूप में अनुमान्य किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को सी.ए.जी. एम एस ओ(प्रशा.) खण्ड -I की धारा 9.2.4 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

कृपया पावती भेजे।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)

निदेशक (परीक्षा)

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 7

सं.517/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 07-09-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।
(डाक सूची अनुसार)

विषय:- सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर/फाइनल) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एस.ए.एस. परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों में छूट।

महोदय/महोदया,

नवीनीकृत एस.ओ.जी.ई. की दृष्टि से एस.ए.एस. के अभ्यर्थी, जो भारत के लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान/भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के इन्टर/फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण है, को अनुमान्य वियुक्ति पर जाँच किया गया तथा निर्णय नीचे दिये गए हैं।

यह परीक्षा परिपत्र संख्या 2007 के 6 के अधिक्रमण में हैं।

एस.ए.एस. पेपर में छूट	परीक्षा उत्तीर्ण
पेपर : पी.सी-14 वित्तीय लेखांकन एवं प्रारम्भिक लागतें समूह - II, सिविल लेखा परीक्षा, स्थानीय लेखा परीक्षा, पी एण्ड टी लेखा परीक्षा, रेलवे लेखा परीक्षा शाखा एवं रक्षा लेखा परीक्षा शाखा	आई.सी.डब्ल्यू. ए. (इन्टर) स्टेज -I एवं स्टेज - II अथवा सी.ए.पी.ई -II समूह - I एवं समूह - II अथवा सी.ए.पी.सी.ई - II समूह - I एवं समूह - II

प्रश्न पत्र पी.सी. -15 उच्च लेखाकंन समूह - II व्यवसायिक लेखा परीक्षा शाखा	आई.सी.डब्ल्यू.ए (इन्टर) स्टेज II या सी.ए.पी.ई -II समूह - I या सी.ए.पी.सी.ई - II समूह - I
---	--

उल्लिखित आदेश से अंभ्यर्थियों को अवगत कराये जाए।

कृपया पावती भेजे।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 8

सं.544/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 15-09-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

विषय:-. आगामी एस.ए.एस. परीक्षा के लिए परिपत्र संख्या -4 का स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के परिपत्र संख्या 4 का संदर्भ लें जिसके साथ ए.सी (एन) से प्राप्त पत्र संख्या 964/एनजीई(नियुक्ति)/38 - 2010 दिनांक 13-8-2010 को अग्रसारित किया गया था। उल्लिखित संदर्भित पत्र के पैरा 2 में प्रकट होने वाले शब्दों "पूर्व एस.ए.एस. (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा" तथा "छूट" पर स्पष्टीकरण नीचे दिये गए हैं, को सूचनार्थ एवं आपके स्तर पर आवश्यक कार्यवाई हेतु है।

1. पूर्व एस.ए.एस. लेखा परीक्षा का अर्थ एन.जी.ई. (नियुक्ति) के पत्रांक 611 - एनजीई (नियुक्ति)/37-2003 दिनांक 12-08-2003 के अनुसार "लेखा एवं हकदारी कर्मचारियों को एस ओ जी ई (सिविल लेखापरीक्षा) में बैठने की अनुमति योजना के शुरू होने के पश्चात् पूर्व के वर्षों में सम्पन्न एसओजीई (सिविल परीक्षा) परीक्षा है।
2. पूर्व परीक्षाओं में प्राप्त छूट का अर्थ है "पूर्व के एस ओ जी ई (सिविल लेखा परीक्षा) में बैठने से एसओजीई (सिविल लेखापरीक्षा)

भाग-1 अथवा भाग - 2 के किसी भी प्रश्न पत्र में कर्मचारी को प्राप्त छूट तथा जो एस.ए.एस. 2010 के छूट मैट्रिक्स में अनुमत है,"

कृपया पावती अभिस्वीकृत करें।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 09

सं.545/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 17-09-2010

सेवा में,

सभी भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय।

विषय:- एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा 2010 विस्तृत कार्यक्रम।

सन्दर्भ: - सं. 632-एन.जी.ई./नियुक्ति/24-2010 दिनांक 7-6-2010 के द्वारा जारी परिपत्र संख्या 17 एन.जी.ई./2010.

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के उपर्युक्त परिपत्र की निरन्तरता में मुझे यह सूचित करने का निर्देश है कि एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा 2010 नवम्बर 2010 में आयोजित की जायेगी। एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम का सार संलग्न है। कार्यक्रम सी.ए.जी. की वेब साइट पर भी उपलब्ध है। तदनुसार सभी सम्बन्धितों को सूचना दे दे।

ई-मेल से पावती भेजें।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा कार्यक्रम। दिनांक/दिन	प्रथम सत्र 10 प्रर्वास से दोपहर 12.00 वजे	द्वितीय परिपत्र (2010 अपराहन से सायं 4 बजे तक
25-11-2010 ब्रहस्पतिवार	पी.सी. -1	आर.ए.ई.1 तथा आई ई.-1 पी.सी.27,28,29 (कोलकाता पटना एवं राँची पर 3 पेपर)
26-11-2010 शुक्रवार	पी.सी.-2	पी.सी.- 8,9,10,11,और 12 (5 पेपर)
27-11-2010 शनिवार	पी.सी.-3 और आई ई - 3	पी. सी. - 13,14,और 15 (3 पेपर)
28-11-2010	रविवार	अवकाश
29-11-2010 सोमवार	पी.सी.-4 और आई ई - 4	पी.सी.-16,17,18,19 और 20 (5 पेपर)
30-11-2010 मंगलवार	पी.सी.-5,6,और 7 आर.ए. ई-2 से आर.ए. ई-09 और आई ई 2	पी.सी.21,22,23,24,25,26 (6पेपर)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

.2010 का परिपत्र सं 10

सं.546/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 17-09-2010

सेवा में,

सभी भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय।

विषय:- एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा 2010 के मुख्य विशेषताएँ/तौर-तरीके पर प्रकाशीय कार्य क्रम-वृत्तान्त।

महोदय/महोदया,

मुझे अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा (एस.ए.एस.)/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा 2010 पर उल्लिखित दस्तावेज (क्रम संख्या 01 से 22) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अनुलग्नक: उम्र जैसा।

भवदीय

((टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा (एस.ए.एस.)/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा 2010 की प्रमुख विशेषताएँ।

1. नवीनीकृत एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन विभागीय परीक्षा की मुख्य विशेषताएँ सभी विभागीय प्रमुखों को संसूचित है देखे/निदेशक (परीक्षा) का इ-मेल दिनांक 7 अप्रैल 2010.
2. पिछली परीक्षा प्रश्न पत्रों तथा नवीनीकृत पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों के कोड, छूट मैट्रिक्स सहित, एस.ए.एस. परीक्षा प्रश्न पत्रों के कोड तथा प्रत्येक शाखा-समूह की सूची, एस.ए.एस./आर.ए./ आई.ई परीक्षा के पाठ्यक्रम सभी विभागाध्यक्षों को परिचालित हैं। देखे एन.जी. ई. के परिपत्र -17 एन.जी.ई/2070 संख्या 632-एन.जी.ई. (नियुक्ति)/24-2010 दिनांक 07-06-2010.
3. परीक्षा के उद्देश्य से कार्यालय कोड की सूची (अनुलग्न -I), शाखाओं तथा गुणों से सम्बंधित पेपर कोड्स के लिंक (अनुलग्न -II) तथा सहायक लेखा परीक्षा के लिए राजस्व लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए राजस्व लेखा परीक्षा के शाखानुसार पेपर (अनुभाग - III), सभी विभागीय प्रमुखों को परिचालित किये गए हैं। (2010 का परिपत्र संख्या 01 पत्रांक 157 से 259/परीक्षा-4/प्रोग्राम-एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई/2010 दिनांक 10-06-2010
4. ऑफिस कोड सहित इन सभी विवरणियों की एक पुस्तिका को सभी 102 क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किये जा चुके हैं। देखें परीक्षा अनुभाग पत्र सं 399/502/4-परीक्षा एस.ए.एस./पाठ्यक्रम /2009/V दिनांक 29-08-2010.
5. एस.ए.एस.परीक्षा में दो समूह हैं - समूह - I में 5 पेपर तथा समूह - II में 4 पेपर हैं लेकिन तीन राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखण्ड) में स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा में 5 पेपर हैं।
6. एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के लिए स्थानों की सूची आई ए ए डी के सभी कार्यालयों को परिचालित है देखे परिपत्र संख्या 2010 के 2 तथा पत्रांक 444/44-परीक्षा/परिपत्र/2010 दिनांक 05-08-2010.
7. परिपत्र संख्या 17 - एन.जी.ई/2010 दिनांक 07-06-2010 के मुद्दों जैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रत्येक पेपर में 40% तथा कुल 45% प्राप्त किये हैं लेकिन एस.ओ.ई-31 में

अनुत्तीर्ण है, का स्पष्टीकरण सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित हैं। देखे परिपत्र संख्या 2010 के 3 तथा पत्र संख्या 453/44-परीक्षा/परिपत्र/2010 दिनांक 11-08-2010.

8. ए.सी (एन) से प्राप्त महालेखाकार (ले एवं हक.) कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों की सूची, जिन्हे एस.ए.एस. (सिविल लेखा) परीक्षा संचालित करने की जरूरत है, को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से परिचालित किया गया है। देखे 2010 का परिपत्र सं 4.

9. एस.ए.एस./आर.ए.ई/आई. परीक्षा - 2010 के अभ्यर्थियों का ऑन-लाइन पंजीकरण ई-मेल के द्वारा सभी 102 विभागाध्यक्षों को परिचालित किया गया है देखे परिपत्र संख्या 2010 का 5 तथा पत्र सं 499/44/परीक्षा/परिपत्र/2010 दिनांक 26 अगस्त 2010.

10. अभ्यर्थियों तथा विभागाध्यक्षों दोनों के लिए ऑन लाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गए तथा परिपत्र संख्या 5 के साथ परिचालित है, तीनों परीक्षाओं के सभी फाइल शाट्स विकसित किये गये तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय की वेबसाइट के परीक्षा फोल्डर में हॉस्टेड है।

11. पाठ्यक्रम आदि समेत उपरोक्त सभी परिपत्रों को हॉस्ट किया गया है। तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय वेबसाइट के फोल्डर - अन्य कार्य विंग - परीक्षा में उपलब्ध है।

12. एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के अभ्यर्थियों को अनुमान्य अवसरों की संख्या के विषय में स्पष्टीकरण क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किये गए हैं देखे परिपत्र संख्या 2010 के 6 तथा पत्र संख्या 509/44-परीक्षा/परिपत्र/2010 दिनांक 03-09-2010.

13. सीए/आई.सी. डब्लू.ए./इन्टर (फाइनल) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए एस.ए.एस. परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों से विमुक्ति क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किये गए देखे परिपत्र संख्या 2010 के 7 तथा पत्र संख्या 517/44-परीक्षा/परिपत्र - 2010 दिनांक 07-09-2.1.

14. पेपर कोड पीसी -4/आई ई -4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) में प्रयुक्त विन्डोज़ वर्जन पर स्पष्टीकरण।

सभी विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किये गए हैं देखे पत्र संख्या 529/44-परीक्षा/प्रोत्साहन-एस.ए.एसू/आर.ए.ई./आई.ई./2010 दिनांक 09-09-2010.

15. सभी तीनों परीक्षाओं की अस्थाई तिथि रविवार 28-11-2010 को छोड़कर, 5 दिनों में 25-11-2010 से 30-11-2010 तक है। समय तालिका सी.ए.जी वेबसाइट के परीक्षा फोल्डर में हॉस्टेड हैं।

16. सभी प्रश्न पत्र बहुविकल्प प्रश्नों के ढांचें में, तथा पीसी-4/आई ई -4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक), चूंकि ये तकनीकी प्रश्न पत्र हैं, को छोड़कर द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों) हैं। अतः हिन्दी या अंग्रेजी विकल्प माध्यम से लिखने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में लिखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थी जिसने हिन्दी विकल्प लिया है, पी-4/ आईई-4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) अंग्रेजी में भी लिख सकता है।

17. प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्प प्रश्न (एम.सी.क्यूज) होंगे। तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे होगी। सभी तीनों परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण एवं विमुक्ति के लिए समान रूप से 50% प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित हैं।

18. एस.ए.एस. के 21 प्रश्न पत्रों के मामले में नमूना बहुविकल्प प्रश्नों (एम.सी. क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य 12-08-2010 के ई-मेल से परिचालित किये गए हैं। नमूना एस.सी.क्यूज सी.ए.जी वेबसाइट के परीक्षा फोल्डर में हॉस्टेड हैं।

19. अभ्यर्थी, जो पीसी-4/आई ई -4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) प्रश्न पत्र को हिन्दी में लिखने की अच्छा रखते हो, से अनुरोध है कि वे अपनी इच्छा विभागाध्यक्ष के द्वारा परीक्षा विंग को प्रेषित करें। पत्र संख्या.529-4/परीक्षा/प्रोग्राम/एस.ए.एसू./आर.ए./आई.ई./2010 दिनांक 13-09-2010.

20. परीक्षा संचालन आउटसोर्स किया गया है। कम्प्यूटर आधारित टेस्ट संचालन के लिए प्रत्येक केन्द्र में सभी तीनों परीक्षाओं के लिए ठेकेदार सुविधाएँ प्रदान करेंगे। प्रत्येक केन्द्र में अभ्यर्थियों को संख्या एक बार उपलब्ध होने पर केन्द्र का पता एवं स्थान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचित किये जायेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रत्येक केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध होगी। अतः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑन लाइन पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र करने का अनुरोध किया जाता है।

21. प्रश्न पत्रों की प्राप्ति प्रक्रिया तथा उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण छोड़कर जो कम्प्यूटर द्वारा होगा विभागाध्यक्षों की इन विभागीय परीक्षाओं के संबंध में भूमिका एवं जिम्मेदारियां सी.ए.जी -एम.एस.ओ. (प्रशासन) खण्ड - I के अध्याय 9 में निर्धारित जैसी होगी।

22. ठेकेदार प्रत्येक 25 अभ्यर्थियों पर तकनीकी भूमिका वाले सुपरवाइजर उपलब्ध करेंगे। पर्यवेक्षण/अन्वीक्षण के अलावा सुपरवाइजर प्रवेश पत्र में दी सूचना के विरुद्ध अभ्यर्थी के कार्यालय पहचान पत्र के संदर्भ में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश अनुमति के पूर्व अभ्यर्थी के पहचान को सत्यापित करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारी/परीक्षा

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 11

सं.547/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 17-09-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

विषय:- पूर्व एस.ओ.जी. परीक्षा में एस.ओ.जी. ई. अर्हता प्राप्त परन्तु कम्प्यूटर पेपर में पास करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया,

हमे सूचित करना है कि जो अभ्यर्थी पूर्व की एस.ओ.जी. परीक्षा में एस.ओ.ई.जी. अर्हता प्राप्त किन्तु कम्प्यूटर पेपर पास करने की आवश्यकता है को नवीनीकृत एस.ए.एस. परीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तीन पेपर लेना अनिवार्य है:

1. पीसी.-2. तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता
2. पीसी.-3. सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक)
3. पीसी.-4. सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक)

कृपया पावती अभिस्वीकृत करें।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 12

सं.548/44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 17-09-2010

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

विषय:- पीसी.-1, पीसी.-2, पीसी.-3 तथा पीसी.-4 के सम्बन्ध में संदर्भ पुस्तकें।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि एस.ए.एस. परीक्षा में पीसी.-1 भाषा कौशल, पीसी.-2 तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, पीसी.-3 सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धांतिक) तथा पीसी.-4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) प्रश्न पत्रों की तैयारी में निम्नलिखित पुस्तकों को निर्दिष्ट किया जा सकता है:

क्रम संख्या	प्रश्न-पत्र	संदर्भ पुस्तकें
1.	पीसी.-1. भाषा कौशल	1. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायिका 2. संक्षेपण एवं प्रारूपण :लेखक मुथुस्वामी एवं ब्रिन्द्रा 3. अन्य पुस्तकें जिनमें भारतीय बैंकिंग सेवाओं के लिपिक ग्रेड तथा प्रोबेशनरी अधिकारियों के समान मानक वाले प्रश्न शामिल हों।
2.	पीसी.-2. तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता	पुस्तकें, जिनमें भारतीय बैंकिंग सेवाओं के लिपिक ग्रेड एवं प्रोबेशनरी अधिकारियों के समान मानक वाले प्रश्न शामिल हों।

3.	पीसी.-3.सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धांतिक)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आई टी लेखा परीक्षा पुस्तिका खण्ड -I 2. सूचना सुरक्षा हस्त पुस्तिका 3. स्थाई आदेशों (लेखापरीक्षा) पुस्तक, द्वितीय संस्करण - 2002 का अध्याय 22 उपयुक्त तीनों पुस्तकें सीएजी कार्यालय के प्रकाशन हैं। 4. कम्प्यूटर कैसे कार्य करता है (रॉन वाइट) 5. 'O' - लेवल-इन्टर्नेट एवं वेब पेज डिजाइन 6. इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कन्सैप्ट एवं प्रैक्टिस, द्वितीय संस्करण लेखक - दिनोद कुमार गर्ग एवं एन.के. वेन्कटाकृष्णन।
4.	पीसी.-4. सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक)	<ol style="list-style-type: none"> 1. माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस 2003 (लॉ प्वाइन्ट प्रकाशक) 2. ऑफिस 2003 आसान चरणों में (स्टीफोन कॉप स्टेज प्रकाशक)

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 13

सं.589 /44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 07-10-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

(अधीनस्थ कार्यालयों समेत)

(डाक सूची अनुसार)

विषय:- अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा नवम्बर 2010, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए छूट मानकों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

उच्चतम न्यायलय के अप्रैल 1986 के निर्णय तथा कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार से जारी अनुदेशों को देखे सं.36012/23196- Estt(Res) खण्ड -II दिनांक 3 अक्टूबर 2000 के अनुसरण में नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने नवम्बर 2010 में होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट की सीमा प्रदान करने पर ध्यान से विचार किया है तथा छूट की सीमा पर किये फैसले यथा निम्नवत है:

एस.ए.एस. के ग्रुप I एवं II के सभी पेपरों में तथा कुल में 5 प्रतिशत की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, अभ्यर्थी, जो प्रत्येक पेपर में तथा कुल में 45 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक से कम नहीं प्राप्त किये हो इस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा।

अगर की छूट केवल नवम्बर 2010 में होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा से "संबंधित है" भविष्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए छूट की ऐसी सीमा-निर्धारण किये जायेगे तथा ऐसी परीक्षाओं के शुरू होने के पूर्व अधिघोषित किये जायेगें।

इस छूट का व्यापक प्रचार किया जाये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को अगर की छूट की उपयुक्त रूप से सूचित किया जाए।

इस पत्र पावती की अभिस्वीकृति करें।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)

निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2010 का परिपत्र सं. 14

सं.630 /44-परीक्षा/परिपत्र/2010

दिनांक 19-10-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

विषय:- आई ई .-3 एवं आई ई - 4 से विमुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा कम्प्यूटर प्रणाली पेपरों के साथ उत्तीर्ण हैं को प्रोत्साहन परीक्षा के पेपर आई ई - 3 सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धांतिक) तथा आई ई - 4 सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवाहारिक) में बैठने से विमुक्त होंगे।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग
2010 का परिपत्र सं. 15

सं.660 /परीक्षा/44-परिपत्र/2010

दिनांक 26-10-2010

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय, सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्र।

(डाक सूची के अनुसार)।

विषय:- सी.ए.जी. के कार्यालय पंजीकरण वेब एड्रेस पर एस.ए.एस./आरए/प्रोत्साहन परीक्षा - 2010 के डेमों मॉड्यूल्स का हॉस्टिंग।

महोदय/महोदया,

मुख्य परीक्षा के सभी लक्षणों से युक्त परीक्षण डेमों का परीक्षा पंजीकरण सर्वर के वेब एड्रेस: http://examreg.cag.gov.in/cagdtest/CAG_SETUP.exe पर हॉस्ट किये जा चुके हैं।

जहाँ इन्टरनेट की सुविधा है वहाँ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तथा स्थानीय कम्प्यूटर पर संस्थापित करने की व्यवस्था की जाए। सॉफ्टवेयर उपयोक्ता मैत्री पूर्ण है तथा सभी आवश्यक अनुदेश सम्मिलित हैं।

यदि हिन्दी फॉन्ट समुचित तरीके से नहीं प्रकट हो रहे हो, आवश्यक फोन्ट आपकी प्रणाली में नहीं हो सकते हैं। अतः हिन्दी फोन्ट को डाउनलोड करने के लिए आप कड़ी <http://examreg.cag.gov.in/cagdtest/inc/mangal.ttf> का प्रयोग कर सकते हैं। फॉन्ट के डाउनलोडिंग करने के पश्चात C:\Windows\Fonts\ में फॉन्ट की कॉपी कर ले। यह पथ उस धारणा पर आधारित है कि विन्डोज आपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव पर स्थापित है।

डेमों मॉड्यूल्स में सजीव सी.बी.टी. के सभी गुण यथा विस्तृत अनुदेश, समय संकेतक, प्रश्नों का चयन, सभी पेपर शामिल, प्रत्येक पेपर में 100 आदिप्रारूप द्विभाषीय बहुचयन प्रश्नों आदि हैं।

डी ए आई (आर सी) ने इच्छा व्यक्त की है कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान सहित सभी क्षेत्र कार्यालय सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचने का प्रयास करें ताकि वे लोग सी.बी.टी. की प्रक्रिया से अवगत हो जाए। कर्मचारी एसोसियेशन सहित अभ्यर्थियों के बीच परीक्षण डेमों का व्यापक प्रचार किया जाए।

कृपया परिपत्र पावती की अभिस्वीकृति करें।

भवदीय

(टी.एस.शिवप्पा)
निदेशक (परीक्षा)